



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)  
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 26858570 Fax 26514179  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS/RS)

दिनांक- 15.05.2018

The Principal  
Kendriya Vidyalaya,  
NO. 1 SHAHIBAUG, AHMEDABAD

विषय: विशेष छूट पर आधारित प्रवेश हेतु माननीय सांसद Dr. Kirit P. Solanki, द्वारा शिक्षा-सत्र 2018-19 के लिए के. वि. सं. कूपन सं0 471 में की गयी संस्तुति।

महोदय/ महोदया,


माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यार्थियों के प्रवेश को निम्नांकित नियमों के आधार पर अनुमोदित किया गया है :-

S.N	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
6	MAHIMA	GHANSHYAM SINGH GOHIL, 2 ANIRDESH APRT, OPP. NEW MADHAVPURA, MKT, SHAHIBAUG, AHMEDABAD, CONTACT NO. 09998999066	VIII	NO. 1 SHAHIBAUG, AHMEDABAD
9	PRIYAL	ULPESH JADAV, ADITTYA KABADI MARKET, BERHAMPUR	I	NO. 1 SHAHIBAUG, AHMEDABAD
10	MAHI	DEEPAK KUMAR RATHOD, AMBEDKAR NAGAR, NEAR WATER TANK, DHRANGADARA, SURENDRANAGAR, CONTACT NO.08849754991, AHMEDABAD, GUJRAT	I	NO. 1 SHAHIBAUG, AHMEDABAD

This admission order is issued in cancellation of the Admission letter of even no. dated 09.04.2018 vide S. No. 6,9,10 order no 166L/2018-19 in r/o VISHWA PRIYADARSHI, AARAV PATEL AND SHIVANSH MAKWANA on receipt of a letter dated 11.05.2018 from the Hon'ble MP.

निर्देश:-

- विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.05.2018 है।
- प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Kirit P. Solanki, माननीय सांसद सदस्य 12-A, Windsor Place, New Delhi - 110 001 - सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपायुक्त, के वि सं, AHMEDABAD संभाग को सूचनार्थ। प्रवेश प्रक्रिया के अंत में कुल हुए प्रवेश की समेकित सूची भिजवानी आवश्यक है।